आवश्यक

हितकारी निधि
कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/हिनि/28203/2010–11 दिनांक 7•12•10

समस्त मण्डल अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) प्रथम/द्वितीय,
विशिष्ठ संस्थाएं/रामावि/राउमावि/राबामावि/राबाउमावि,
सम्पादक शिविरा पत्रिका,
समस्त अनुभाग (माध्यमिक शिक्षा)

विषय : हितकारी निधि का वर्ष 2010–2011 का वार्षिक अंशदान राज्य कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से वसूल कर भिजवाने बाबत्।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.21(ग)2/95 दिनांक 02.08.2002 के द्वारा हितकारी निधि में वर्ष 2010–2011 का अंशदान राज्य के समस्त अधिकारियों/व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों/शारीरिक शिक्षकों/उद्योग शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों/कला अध्यापकों/प्रयोगशाला सहायकों/कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिकों/ कनिष्ठ लिपिकों/ जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारी) से वार्षिक अंशदान की निर्धारित दर से अनिवार्य रूप से वसूल कर भिजवाये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

<u>हितकारी निधि हेतु अंशदान की निर्धारित दरें :–</u>

1.	समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित)	50/– प्रति वर्ष
2.	व.अ./अधीक्षक/कार्यालय सहायक एवं समकक्ष	30/– प्रति वर्ष
3.	अध्यापक/व.लि./क.लि./प्र.शा.से./प्र.शा.स./जमादार/च.श्रे.क. एवं सकमक्ष	20/– प्रति वर्ष

<u>हितकारी निधि कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्धेश्य :</u>

इस कल्याणकारी योजना के राज्य कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान राशि से कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों को रूपये 7000/– एवं दुर्घटना में निधन होने पर रुपये 10000/–, गम्भीर बीमारी पर उनको तथा परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी पर रूपये 5000/– तक की सहायता दी जाती है। शिक्षा विभागीय राज्य कर्मचारी / अध्यापकों के 100 बच्चों को जो व्यावसायक शिक्षा में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होने पर रूपये 1500/– से रुपये 2500/– तक की सहायता दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

<u>दान स्वरूप राशि का संकलन :</u>

इस कल्याणकारी योजना में दान स्वरूप भी राशि लिये जाने का प्रावधान है, दान की कोई सीमा नहीं है। दानदाताओं से सम्पर्क करके दान स्वरूप राशि दिये जाने हेतु प्रेरित किया जाये ताकि कोष में राशि की बढोतरी होकर अन्य कल्याणकारी योजनाओं में इसका उपयोग किये जाने में सहायता मिल सके। राज्य कर्मचारियों को भी अंशदान के अतिरिक्त दान का भी अधिकाधिक सहयोग दिए जाने हेतु प्रेरित किया जावे। दान स्वरूप राशि भिजवाते समय दानदाता का नाम, पता एवं राशि का उल्लेख अवश्य करें ताकि दानदाता को धन्यवाद का पत्र भेजा जा सके।

<u>गत वर्ष उत्साहवर्द्धक सहयोग :</u>

गत वर्ष इस कल्याणकारी योजना में आपका सहयोग उत्साहवर्द्धक रहा जिससे हितकारी निधि कोष में वृद्धि हो सकी। इसके लिये आप सभी धन्यवाद के पात्र है।

<u>अंशदान एवं दान स्वरूप प्राप्त राशि निम्न पते पर भेजी जाये :</u>

प्राप्त राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही भिजवाई जावे। राशि का बैंक ड्राफ्ट, अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनवाकर भिजवाया जावे।

अतः आप राज्य के समस्त वर्ग के अधिकारियों, अध्यापकों, मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों से वर्ष 2010–2011 का अंशदान जनवरी, 2011 से अनिवार्य रूप से लेकर एवं दानदाताओं से दान स्वरूप राशि प्राप्त कर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर भिजवाये तथा इस कल्याणकारी योजना को सफल बनाने में आप सभी सहयोगी बनें।

धन्यवाद।

भवदीय,

(भास्कर ए. सावन्त)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

आवश्यक

हितकारी निधि
कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/हिनि/28203/2010–11 दिनांक : 20.12.2010

समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
समस्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
समस्त विशिष्ठ संस्थाए।
समस्त अनुभाग अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

विषय : हितकारी निधि का वर्ष 2010–2011 का वार्षिक अंशदान राज्य कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से वसूल कर भिजवाने बाबत्।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.21(ग)2/95 दिनांक 02.08.2002 के द्वारा हितकारी निधि में वर्ष 2010–2011 का अंशदान राज्य के समस्त अधिकारियों/व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों/शारीरिक शिक्षकों/उद्योग शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों/कला अध्यापकों/प्रयोगशाला सहायकों/कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिकों/ कनिष्ठ लिपिकों/ जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारी) से वार्षिक अंशदान की निर्धारित दर से अनिवार्य रूप से वसूल कर भिजवाये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

<u>हितकारी निधि हेतु अंशदान की निर्धारित दरें :–</u>

1.	समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित)	50/– प्रति वर्ष
2.	व.अ./अधीक्षक/कार्यालय सहायक एवं समकक्ष	30/– प्रति वर्ष
3.	अध्यापक/व.लि./क.लि./प्र.शा.से./प्र.शा.स./जमादार/च.श्रे.क. एवं समकक्ष	20/– प्रति वर्ष

<u>हितकारी निधि कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य :</u>

इस कल्याणकारी योजना के राज्य कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान राशि से कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों को रूपये 7000/– एवं दुर्घटना में निधन होने पर रुपये 10000/–, गम्भीर बीमारी पर उनको तथा परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी पर रुपये 5000/– तक की सहायता दी जाती है। शिक्षा विभागीय राज्य कर्मचारी / अध्यापकों के 100 बच्चों को जो व्यावसायिक शिक्षा में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होने पर रूपये 1500/– से रुपये 2500/– तक की सहायता दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

<u>दान स्वरूप राशि का संकलन :</u>

इस कल्याणकारी योजना में दान स्वरूप भी राशि लिये जाने का प्रावधान है, दान की कोई सीमा नहीं है। दानदाताओं से सम्पर्क करके दान स्वरूप राशि दिये जाने हेतु प्रेरित किया जाये ताकि कोष में राशि की बढोतरी होकर अन्य कल्याणकारी योजनाओं में इसका उपयोग किये जाने में सहायता मिल सके। राज्य कर्मचारियों को भी अंशदान के अतिरिक्त दान का भी अधिकाधिक सहयोग दिए जाने हेतु प्रेरित किया जावे। दान स्वरूप राशि भिजवाते समय दानदाता का नाम, पता एवं राशि का उल्लेख अवश्य करें ताकि दानदाता को धन्यवाद का पत्र भेजा जा सके।

<u>गत वर्ष उत्साहवर्द्धक सहयोग :</u>

गत वर्ष इस कल्याणकारी योजना में आपका सहयोग उत्साहवर्द्धक रहा जिससे हितकारी निधि कोष में वृद्धि हो सकी। इसके लिये आप सभी धन्यवाद के पात्र है।

<u>अंशदान एवं दान स्वरूप प्राप्त राशि निम्न पते पर भेजी जाये :</u>

प्राप्त राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही भिजवाई जावे। राशि का बैंक ड्राफ्ट, अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनवाकर भिजवाया जावे।

अतः आप राज्य के समस्त वर्ग के अधिकारियों, अध्यापकों, मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों से वर्ष 2010–2011 का अंशदान जनवरी, 2011 से अनिवार्य रूप से लेकर एवं दानदाताओं से दान स्वरूप राशि प्राप्त कर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर भिजवाये तथा इस कल्याणकारी योजना को सफल बनाने में आप सभी सहयोगी बनें।

धन्यवाद।

भवदीय,

(श्यामसुन्दर बिस्सा)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

हितकारी निधि

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/हिनि/28219/2010 –11 दिनांक : 8.12.10

अंतिम दिनांक : 7.02.2011

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा),

विषय : **हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना–पत्र आमंत्रण।**

महोदय/महोदया,

हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में राजकीय सेवा में कार्यरत समस्त वर्ग के शिक्षा अधिकारियों/व्याख्याता/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा/अध्यापकों/मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारियों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनार्थ वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप–पत्र आमंत्रित किए जाते है।

विशेष ध्यातव्य :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर अग्रेषित किए जायें।

1. यह योजना राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।

2. **व्यवसायिक शिक्षा** : इंजीनियरिंग, मेडिसन एवं मैनेजमेन्ट, बी.एड., एस.टी.सी. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है –

(अ) इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम (चार वर्ष)–(आठ समेस्टर): डिसिपलिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेली–क्युमनिकेशन, कम्प्यूटर–सांईस एण्ड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल, आर्केटेक्चर, टैक्सटाईल, माईनिंग, रबर टैक्नोलोजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्स्टुमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल, प्रिटिंग, केमिकेल टेक्नोलोजी, मेटेलर्जीकल इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, प्रोडेक्शन टेक्नोलोजी, शिप बिल्डिंग एण्ड फेब्रिकेशन टेक्नालोजी, नेवल आर्किटेक्चर, पैट्रोलियम इंजीनियरिंग।

(आ) मेडिकल, (एलोपेथी) होम्योपेथी, आयुर्वेदिक फार्मस् ऑफ मेडिसीन्स एवं पशु आयुर्विज्ञान।

(इ) उपर्युक्त पैरा (अ, आ) में उल्लेखित डिग्री (4 वर्ष), डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(ई) डिप्लोमा पाठ्यक्रम बी–फार्मा की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(उ) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(ऊ) बी.एड. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष तथा एस.टी.सी. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की मान्य है।

3. प्रार्थना–पत्र की सभी प्रविष्टियां स्वयं कर्मचारी/संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए।

4. भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना–पत्र के कॉलम संख्या 11 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्रार्थना–पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पूर्ण भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना–पत्र विचारणीय होगा।

5. सत्र 2010–11 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप में संलग्न करें।

6. सहायता राशि मात्र ट्यूशन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त में दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी।

7. सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। राज्य कर्मचारी के बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना–पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2010–11 में अध्ययनरत के लिए ही स्वीकार्य होगें।

8. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार्य होगा।

9. यह सहायता राशि वर्ष 2010–11 के लिए ही मान्य होगी। जिन्होंने इस सत्र में प्रवेश लिया हो उन्हें ही सहायता दी जायेगी।

10. प्रार्थना–पत्रों के आधार पर पात्रता की जांचोपरान्त, स्वीकृत राशि की अग्रिम स्टाम्प भिजवाने एवं हितकारी निधि कोष में राशि उपलब्ध होने पर सहायता देय होगी। प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर दिए जाने से यह तात्पर्य नहीं कि आपको सहायता मिल जायेगी। अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जाये।

11. राज्य कर्मचारी, हितकारी निधि का नियमित अंशदाता होना चाहिए। यदि अंशदान जमा करवाया हुआ है तो भेजे जाने वाले अंशदान का डी.डी. नम्बर, दिनांक व राशि का उल्लेख सहित विवरण प्रस्तुत किया जावे।

12. यदि आप हितकारी निधि के सदस्य नहीं है तो आज ही नियुक्ति तिथि से अंशदान एक मुश्त जमा करवाकर सदस्य बनकर अंशदान राशि का बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष, हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवायें।

13. **सहायता राशि** – एक वर्ष से दो वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु रूपये 1500/–, तीन वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु रूपये 2000/– एवं तीन वर्ष से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु रूपये 2500/– निर्धारित है। यह सहायता राशि पाठ्यक्रम की अवधि हेतु केवल एक बार ही देय होगी ।

14. अपूर्ण प्रार्थना–पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं देरी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतः ऐसी स्थिति में एवं निरस्त हुए प्रार्थना–पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जावेगी। प्रार्थना–पत्र 100 से अधिक स्वीकार्य नहीं होने के कारण किसी भी प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

कृपया उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों/कार्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सके। अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द करावें कि प्रार्थना पत्र सीधे नहीं भेजे, प्रार्थना पत्रों को अपनी अनुशंषा सहित दिनांक 7-02-2011...... तक अद्योहस्ताक्षकर्त्ता के पद नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संलग्न : निर्धारित प्रार्थना–पत्र की प्रति पृष्ठ 2

भवदीय

8/12/10

उपनिदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव, हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

हितकारी निधि
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों राजपत्रित शिक्षा अधिकारी/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)/ शिक्षक/ मंत्रालयिक / सहायक कर्मचारी एवं समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों (मा./प्रा.) के बच्चों को

व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र।

1. कर्मचारी का नाम :- ....जन्म तिथि ....आयु..........
2. पद एवं पदस्थापन स्थान :- ....
3. कर्मचारी की नियुक्ति तिथि :- ....
4. कर्मचारी का स्थायी पता :- ....
टेलीफोन/मोबाईल न
5. अध्ययनरत छात्र/छात्रा का नाम :- ....

जन्म तिथि .... आयु ....

6. छात्र/छात्रा से संबंध :- ....
7. छात्र/छात्रा के व्यवसायिक शिक्षा का नाम :- (✓करें) मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बी.एड/एस.टी.सी
8. पाठ्यक्रम की अवधी :- ....
9. महाविद्यालय/विद्यालयों में प्रवेश तिथि (प्रथम वर्ष) :- ....
10. महाविद्यालय/विद्यालय का नाम एवं पता जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है :- ....

....(✓करें) (संस्था राजकीय/अराजकीय/निजी/मान्यता प्राप्त)

11. व्यवसायिक विषय के लिए भुगतान की गई राशि की मूल रसीदें संलग्न करें :-

संलग्न कुल रसीद सं. .... राशि ....

12. संस्था से कोई छात्रवृति ली जा रही है अथवा नहीं यदि हां तो कितनी ....
13. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से यदि कोई सहायता राशि मिली है अथवा नहीं यदि हां तो कितनी ....
14. छात्र/छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है :- हां/नहीं
15. हितकारी निधि पंजीयन संख्या (वर्षवार कटौती विवरण) संलग्न पृष्ठ ....
16. बकाया अंशदान भिजवाने का ड्राफ्ट सं. व दिनांक ....

मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, बीकानेर मेरे विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा वह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर
(पद एवं कार्यरत स्थान)

संस्था प्रधान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र जहां कर्मचारी कार्यरत है
(संस्था प्रधान अराजपत्रित होने पर आहरण वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पद एवं पदस्थापन स्थान .... जो मेरे अधीन कार्यरत है। इनके पुत्र/पुत्री.. जो (महाविद्यालय/विद्यालय) का नाम .... में अध्ययनरत है एवं मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बीएड/एस.टी.सी. सत्र .... में प्रवेश लिया है को सहायता हेतु इनका प्रार्थना–पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
(मोहर)

महाविद्यालय/विद्यालय का नाम ....

अध्ययनरत महाविद्यालय/विद्यालय का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/ श्रीमती/..जो (महाविद्यालय/विद्यालय/कार्यालय का नाम).. में कार्यरत हैं। इनके पुत्र/पुत्री इस महाविद्यालय/विद्यालय का नियमित छात्र/छात्रा है।

महाविद्यालय/विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा विषयक विवरण निम्नानुसार है –

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (समेस्टर सहित)	प्रवेश तिथि	वर्तमान में किस वर्ष में अध्ययनरत हैं	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	विशेष विवरण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

अग्रिम रसीद

व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि प्राप्ति की गयी।

नाम कर्मचारी एवं पदस्थापन स्थान	राशि	बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक

हस्ताक्षर
(मोहर)

हस्ताक्षर
मय रेवेन्यू स्टाम्प